झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–16 वर्ष 2017

गोखुल महतो, पे0 स्वर्गीय कारू महतो, निवासी ग्राम–जुरागा, डाकघर–लाडुपडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची। .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. गुरूवारी देवी, पत्नी–श्री गोखुल महतो, निवासी ग्राम–जुरागा, डाकघर–लाडुपडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची।
3. शम्भु नाथ महतो, नाबालिग जिसका प्रतिनिधित्व उसकी अपनी माँ और प्राकृतिक अभिभावक विपक्षी पक्ष संख्या–2 कर रही है।

.... विपक्षीगण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए :– सुश्री अमृता बनर्जी, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिएः– श्री अभिनेश कुमार, ए0पी0पी0।

06 / 24.07.2017 याचिकाकर्ता की अधिवक्ता सुश्री अमृता बनर्जी और श्री अभिनव कुमार, राज्य के तरफ से ए0पी0पी0 को सुना गया।

यह आवेदन भरण–पोषण वाद संख्या–64 / 2012 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रांची द्वारा पारित दिनांक 18.11.2016 के आदेश के विरूद्ध किया गया है जिसके द्वारा और जिसके अधीन प्रतिमाह 1500 रूपये की राशि विपक्षी पक्ष

संख्या–2 के पक्ष में दी गई है और 1000/– रूपये प्रति माह की राशि विपक्षी पक्ष संख्या–3 को प्रदान की गई है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि विरोधी पक्ष संख्या–2 को एक अन्य व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया था जिसकी शिकायत पंचायत में भी की गई थी। वह व्यभिचार जीवन जी रही थी। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने विरोधी पक्ष सं0–2 के दावे का खंडन किया है कि याचिकाकर्ता ने दूसरा विवाह किया है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता के पास अपनी पैतृक संपत्ति से आय का एकमात्र स्त्रोत है, जिसमें कई सह–हिस्सेदार है और इसलिए, उपरोक्त तथ्य पर विचार करते हुए, भरण–पोषण की राशि जो विरोधी पक्ष सं0–2 और 3 के पक्ष में अधिनिर्णीत की गई है, को काफी हद तक कम किया जाना चाहिए।

विद्वान ए0पी0पी0 ने याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया है। यह प्रतीत होता है कि एक प्राथमिक विचार जिसे विद्वान निचली न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा गया कि याचिकाकर्ता द्वारा दूसरी महिला के साथ दूसरी शादी करकने का तथ्य था, हालांकि याचिकाकर्ता ने इसके विपरीत विपक्षी पक्ष संख्या–2 का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध होने का तथ्य दिया है, लेकिन उसे न तो साबित किया गया है और न ही ऐसे दावे को साबित करने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड पर लाया गया है। विरोधी पक्ष संख्या–2 और 3 के पक्ष में तय किए गए भरण–पोषण की राशि वर्तमान मूल्य सूचकांक को देखते हुए काफी कम है।

ऐसी परिस्थिति, इसलिए, याचिकाकर्ता को इस न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश 18.11.2016 में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देती है और तदनुसार, इस आअवेदन में कोई गुणागुण नहीं होने के कारण, इसे खारिज किया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)